N.C.R.B. 379/16
I.I.F.-1

पहिली खबर
FIRST INFORMATION REPORT

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 154 अन्वये (Under Section 154 Cr. P.C.)

जिल्हा ..... पोलीस ठाणे ..... पहिली खबर क्र. ..... वर्ष ..... दिनांक .....
District Police Station FIR No. Year Date

State

अधिनियम Act ..... कलमे Sections .....

अधिनियम Act ..... कलमे Sections .....

इतर अधिनियम व कलमे Other Acts and Sections .....

(a) अपराधाची घटना बाबत ..... तारीख पासून ..... वेळ ..... तारीख पर्यंत ..... वेळ .....
Occurrence of Offence Day Date from Time Date to Time

केलेला अपराध (प्रहर) (योग्य ठिकाणी ✓ अशी खूण करा. Tick applicable portion)

1) 00.00 ते 03.00 2) 03.00 ते 06.00 3) 06.00 ते 09.00 4) 09.00 ते 12.00 5) 12.00 ते 15.00
6) 15.00 ते 18.00 7) 18.00 ते 21.00 8) 21.00 ते 24.00 9) 06.00 ते 18.00 10) 18.00 ते 06.00

(b) पो. ठा. ला माहिती मिळाल्याचा तारीख ..... वेळ .....
Information received at P.S. Date Time

(c) गुन्हा दाखल झाल्याचा सर्वसाधारण स्टेशन डायरीचा नोंद क्र. ..... तारीख ..... वेळ .....
General Diary Reference : Entry No. Date Time

माहितीचा प्रकार Type of Information : लेखी / तोंडी Written / Oral .....

गुन्हा घडल्याचे ठिकाण (a) पोलीस ठाण्यापासून अंतर व दिशा ..... चौकी /बीट /दुरक्षेत्र नाव व क्र. .....
Place of Occurrence (a) Direction and distance from P.S. Chouki/ Beat/ O.P. Name and No.

(b) गुन्हा घडल्याचे ठिकाणचे नाव ..... ठिकाणचे नंबर ..... गल्ली ..... रस्त्याचे नाव .....
Address of Occurrence : House No., if any Gali/Street Name of road

जवळचे ओळख चिन्ह ठिकाण ..... गाव ..... पोष्ट ..... तालुका ..... जिल्हा ..... राज्य .....
Nearest identifiable Place Village Post Taluka Dist. State

(c) पोलीस ठाणे हद्दीबाहेर असल्यास त्या पो. स्टे. चे नाव ..... तालुका ..... जिल्हा ..... राज्य .....
In case, outside the limit of this Police Station Taluka Dist. State

6. तक्रारदार / खबर देणाऱ्याचे नाव व पत्ता Complainant /Informant : Permanent Address

(a) नाव ..... (b) वडिलाचे / पतीचे नाव .....
Name Father's/Husbands Name

(c) जन्म तारीख व वय ..... (d) राष्ट्रीयत्व ..... फोन नं. .....
Date of Birth & Age Nationality Phone No.

(e) पारपत्र क्रमांक ..... दिल्याचा दिनांक ..... दिल्याचे ठिकाण ..... (f) व्यवसाय .....
Passport No. Date of Issue Place of Issue Occupation

(g) धर्म Religion ..... जात Caste ..... जनजात Sub-Caste .....

(h) पत्ता : गल्ली/सर्व नं. ..... घर/नाव नंबर ..... फोन/मो. नंबर ..... पॅन नं. ..... ओटर्स नं. .....
Address : Ward House/Name No. Phone/Mobile Pan No. Card No.

रस्त्याचे नाव ..... जवळचे प्रसिद्ध ठिकाण ..... गाव ..... पोष्ट ..... पो. स्टे .....
Road Nearest identifiable place Village Post P. Stn.

तालुका ..... जिल्हा ..... राज्य ..... सध्याचा पत्ता .....
Taluka Dist. State Present Address

7 माहिती असलेल्या आरोपीचे संपूर्ण नाव व पत्ता (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा.) (संशयीताचे वर्णन प्र. ख. रिपोर्टच्या फॉर्म I-B वर वेगळ्या सिटवर घेऊन तपासीक अंमलदाराच्या प्रथम खबरीला व सं. अभियोक्ता यांच्या फाईलला जोडावे.)
Details Name & Address of Known Accused (Attach separate sheet, if necessary.) (If suspect particular of physical feature write on form I-B of attach FIR I-B to case diary)

1)
2)

8 तक्रारदाराने/फिर्यादीने तक्रार देण्यास/फिर्याद देण्यास विलंब केल्याची कारणे .....
Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

9 घटनेचे ठिकाण / वस्तू संबंधीची माहिती (जप्त केलेल्या मुद्देमाल यादीस जोडावे) / मालमत्तेचे तपशील
Particulars of properties stolen and involved (Attach inventory of property), write down details on blank back page

10 a) चोरीस गेलेल्या / अंतर्वस्तू संबंधीच्या मालाचे एकूण मूल्य .....
Total value of properties stolen/involved
b) जप्तीची किंवा संबंधित मालमत्ता (Recovery Properties) .....

11 अनैसर्गिक मृत्यू / अकस्मात मृत्यू असल्यास त्याचा क्रमांक .....
Unnatural/Accidental Death case No., if any

12 पहिल्या खबरीची थोडक्यात हकिकत (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावे) संक्षिप्त फिर्यादीचा सार या मजकूर लिहावा.
F. I. R. Information brief Contents (Attach separate sheets, if required.) Write down back blank page

.....

.....

.....

13. केलेली कार्यवाही :- 1. वरील फिर्यादीवरुन कॉलम नं. 2. प्रमाणे गुन्हा दाखल करुन तपासावर घेतला. तपास करण्यात आदेश दिले त्या तपासिक अंमलदाराचे नाव व .....
2. तपास नाकारण्यात आला. त्याचे कारण .....
3. दुस-या पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आला. पोलीस स्टेशन ..... जिल्हा ..... राज्य .....
Action taken : Since the above information reveals Commission of offence (s) as mentioned at Item No.2
(1) Registered the case and took up the Investigation or Directed Name of I.O. ..... Rank ..... No. ..... to take up the Investigation or
(2) Refused Investigation due to ..... (3) Transferred to P.S. ..... District ..... on point of jurisdiction.

तक्रारदारास/फिर्यादीस फिर्याद वाचून पाहिली. फिर्याद बरोबर लिहिली असल्याचे वाचून/वाचून/ऐकून बरोबर नोंदविली असल्याचे त्यांने मान्य केले व त्याची एक प्रत त्यास विनामूल्य देण्यात आली.
F.I.R. read over to the Complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant/informant, free of cost.
(R.O.A.C.)

Naveed Ali.

14. तक्रारदाराची सही व अंगठा
Signature and Thumb impression of the Complainant / Informant.

15. १. न्यायालयास सादर केल्याची तारीख .....
1. Date and time of submitted to the Court

पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांची सही
Signature of the Officer in charge, Police Station
संपूर्ण नाव Name .....
पदनाम Rank .....
तपासिक अं. चा कोड No. .....
Posting.
Code No. of I. O. .....

प्रत, 2. फिर्यादी 3. पोलीस अधीक्षक (संगणक), 4. तपासिक अंमलदार, 5. रोजा प्रत.
Copy to, 2. Complainant, 3. Supdt. of Police (Computer), 4. Inv. Officer, 5. Office Copy

Attachment to item 7 of First Information Report

Scanned with CamScanner

सिटी पोलीस स्टेशन, मालेगांव
दि. २३/११/२०१९

फिर्याद

मेरा नाम नवीद अहमद निहाल अहमद उमर, वय - ३४ वर्षे, धंदा - पॉवरलुम फॅक्टरी, राहणार - घर नं. ४६२, गली नं. ९, इस्लामपुरा, मालेगांव, जि. नाशिक, मोबा. नं. ८०८७१६८८७७ खुद पोलीस स्टेशन स्टेशन मे हाजिर होकर शिकायत दर्ज करता हुँ की, मै उपर दिये पते पर मेरे परिवार के साथ रहकर पॉवरलुम फॅक्टरी चलाकर गुजारा करता हुँ। मै चौथी कक्षा तक पढा हुँ। रोजमर्राकी जिंदगी मे लोगो के बीच रहकर मै अच्छी तरह हिंदी बोल और समझ सकता हुँ। उसी तरह अंग्रेजी के कुछ लब्ज और हुरुप (आंकडा) समझ और बोल सकता हुँ।

मेरे चाचा शब्बीर अहमद हाजी अब्दुल जब्बार इनके नाम पर पुना आग्रा रोड, जमजम आईस फॅक्टरी के पास सर्वे नंबर 25/A/1 B, प्लॉट नं. 6 के उपर पॉवरलुम फैक्टरी है। इस फैक्टरी का सभी कामकाज मै देखता हुँ। और इससे मिलनेवाली आमदनी मै ही लेता हुँ। 19/11/2019 इस तारीख को पॉवर हाऊस (M.S.E.B) के इंजिनिअर गायकवाड और वायरमैन मेरे फैक्टरी पर आये और उन्होने मेरे पॉवरलुम फैक्टरी का इलेक्ट्रीक कनेक्शन कटवाकर इलेक्ट्रीक मिटर अपने साथ ले जा रहे थे। तब मैने उनको रोक कर पॉवरलुम फैक्टरी का अक्टुबर 2019 की भरी हुई लाईटबिल की पर्ची और लाईटबिल दिखाकर इलेक्ट्रीक मिटर वापस बिठाकर लाईट शुरू करने की बिनती की। इंजिनिअर गायकवाड साहब ने मेरा दिखाया लाईटबिल और पर्ची देखकर बोले की, अगर मिटर वापस लगवाकर लाईट शुरू करवानी है, तो मुझे 1,00,000/- रू. (एक लाख रूपये) दो। तभी मै मिटर लगवाऊंगा। ऐसा कहकर वहाँसे जाने लगे। तब मैने फिरसे बिनती की, की मेरे पास इतना पैसा नही है। मैने अब तक सारा इलेक्ट्रीक बील भरा हुआ है। कुछ बाकी नही है। मै आपको इतने पैसे नही दे सकता हुँ। उस समय गायकवाड साहब ने मुझे कहाँ की, ठिक है मै कम करता हुँ, 50,000/- रू. (पचास हजार रू.) दे दे मै फिरसे मिटर लगवाके लाईट शुरू कर देता हुँ। ऐसा कहकर वहा से निकल गये।

पॉवर हाऊस (M.S.E.B) के गायकवाड साहब ने मेरे पॉवरलुम फैक्टरी का निकाला मिटर फिरसे लगाकर लाईट शुरू करने के बदले मे मेरे पास 50,000/- रू. रिश्वत देने की मेरी मर्जी नही थी, इसी वजह से मैने 19/11/2019 इस तारीख को ॲन्टी करप्शन ऑफीस, नासिक यहाँ पे फोन करके एक सरकारी अफसर मुझसे रिश्वत मांग रहा है ऐसे बताया तो वहाँ के पुलीस अफसर श्री. हेमंतकुमार भामरे इन्होने मुझे मै और मेरा स्टाफ आपकी शिकायत लेने के लिये मालेगांव के तुरंत निकल रहा हुँ ऐसे बताके मुझे मालेगांव मे मालेगांव - मनमाड रोडवाले जिवन हॉस्पिटल के पास दोपहर ०३:०० बजे मिलने के लिये कहाँ। इसी वजह से मै अपने होंडा शाईन मोटर सायकल लेकर दोपहर ०३:०० बजे मालेगांव - मनमाड रोडवाले जिवन हॉस्पिटल के पास आकर रुका। उसके थोडे समय बाद ही वहाँ पर एक सुमो गाडी आयी। मैने उस गाडी मे बैठे एक आदमी से आप ॲन्टी करप्शन ऑफीससे आये हो क्या? ऐसा सवाल किया तब गाडी मे बैठे उस आदमी ने हा कहकर आप नवीद अहमद निहाल अहमद हो क्या ऐसा पुछा तो मैने भी हा कहाँ। उसके बाद गाडी मे बैठे उस आदमी ने मुझे सुमो गाडी मे बैठने के लिये कहाँ तो मै गाडी मे बैठ गया। मेरे गाडीमे बैठने के बाद पुलीस अफसर श्री. हेमंतकुमार भामरे इन्होने उनके साथ आये सरकारी पंच श्री. राघवेंद्र राजपुत और श्री. रविकिरण गायकवाड इनकी पहचान कर देने के बाद पुलीस अफसर श्री. किरण रासकर, पुलीस हवालदार मोरे, अहिरराव और ड्रायव्हर गांगुर्डे इनकी पहचान करा दी। उसके बाद पुलीस अफसर श्री. भामरे इन्होने दोनो पंचो के सामने मेरी शिकायत पुछी तब मैने उपर बताई शिकायत बताई। मुझे हिंदी और मराठी भाषा लिखनी नही आती इसी वजह से पुलीस हवालदार मोरे इन्होने मेरे बोले हुये तरीके से शिकायत लिखकर मुझे हिंदीमे पढके सुनाई। उन्होने लिखी हुई शिकायत बिलकुल सही होने की तसल्ली होने के बाद उस शिकायत के उपर मैने उर्दु मे दस्तखत किये हुये है। मेरे दस्तखत करने के बाद उस शिकायत के उपर पुलीस अफसर श्री. भामरे और दोनो पंचोने भी अपने दस्तखत किये है।

मेरी दर्ज की गयी शिकायत के अनुसार सरकारी अफसर श्री. गायकवाड ये मुझसे सच मे रिश्वत मांग रहे क्या? इस बारे मे जांच करने के लिये मुझे और पंच नं. १ श्री. राजपुत इनको मालेगांव मे उपकार थिएटर के पासवाले एमएसईबी के दफ्तर मे जांच के लिये भेजना था इसलिये पुलीस अफसर श्री. भामरे इन्होने मुझे और दोनो पंचो को व्हाईस रेकॉर्डर कैसे काम करता है, इस बारे मे जानकारी देकर उसमे इससे पहले की कोई भी रेकॉर्डींग न होने की तसल्ली करवा दी। उसके बाद उन्होने व्हॉईस रेकॉर्डर मे नया मेमरीकार्ड डालकर व्हॉईस रेकॉर्डर चालु करके मेरे पास देकर मुझे और पंच नं. १ श्री. राजपुत इनको मेरी होंडा शाईन मोटर सायकलपर बैठकर श्री. गायकवाड इनसे मुलाकात करने के लिये वहाँसे दोपहर १६:२९ बजे भेज दिया।

उसके बाद मै और पंच नं. १ श्री. राजपुत मोटर सायकलपे उपकार थिएटर के पास गये, वहाँ पे मैने मेरी मोटर सायकल पार्क की और वहाँ से पैदल एमएसईबी के ऑफीस मे सरकारी अफसर श्री. गायकवाड इनसे मुलाकात करने के लिये पोहचे। वहाँ पर श्री. गायकवाड इनसे की हुई बातचीत के दौरान उन्होने मुझे लाये क्या ऐसा पुछा तब मैने नही कहा तब उन्होने मुझे मट्टु से मिलने के लिये कहाँ। श्री. गायकवाड इनके कहने पर मै मट्टु से मिला और मेरे पॉवरलुम फॅक्टरी से निकाले हुये मिटर के बारे मे उनसे बातचीत की, बातचीत के दौरान मट्टु ने मेरे काम के बारे मे बात करके साहब के ४०,०००/- रू. और मेरे ५०००/- रू. अलग से लेकर आ ऐसे बताया। उसके बाद मै और पंच नं. १ पुलीस अफसर श्री. भामरे रुके थे उसी जगह वापस गये। उसके बाद पुलीस अफसर श्री. भामरे साहब ने मुझे और पंच नं. १ श्री. राजपुत इनको घटी हुई घटना के बारे मे पुछा तब हम लोगो ने बताई हुई हकीगत और व्हॉईस रेकॉर्डर मे मेरे और श्री. गायकवाड और मट्टु के बिच हुई रेकॉर्ड हुई बातचीत दोनो पंच और स्टाफने सुनने के बाद सरकारी अफसर श्री. गायकवाड इन्होने मट्टु के जरीये ४०,०००/- रू. कि रिश्वत की मांग की इसके बारेमे सबकी तसल्ली हो गयी। उसके बाद मुझे वापस २०/११/२०१९ को श्री. गायकवाड इनसे बातचीत करने के लिये एमएसईबी ऑफीस भेजना तय हुआ। उसके बाद पुलीस अफसर श्री. भामरे साहब ने मुझे मेरी मोटर सायकल लेकर २०/११/२०१९ तारीख को सुबह ११:०० बजे महेश नगर के मुख्य अग्निशमन ऑफीस के पास मिलने के लिये कहकर मुझे वहाँ से जाने की इजाजत दी। इस पुरी वारदात का पुलीस अफसर श्री. भामरे साहब ने जांचपुर्व और जांच पंचनामा (पडताळणीपुर्व व पडताळणी पंचनामा) किया है।

२०/११/२०१९ तारीख को सुबह ११:०० बजे पुलीस अफसर श्री. भामरे साहब ने बताई हुये महेश नगर के मुख्य अग्निशमन ऑफीस के पास अपनी मोटर सायकल लेकर हाजीर हुआ। उस समय श्री. भामरे साहब, दोनो पंच और उनका स्टाफ सरकारी गाडी के साथ वहा मौजुद थे।

मेरी दर्ज की गयी शिकायत के अनुसार सरकारी अफसर श्री. गायकवाड ये मुझसे सच मे रिश्वत मांग रहे क्या? इस बारे मे फिरसे जांच करने के लिये मुझे और पंच नं. १ श्री. राजपुत इनको मालेगांव मे उपकार थिएटर के पासवाले एमएसईबी के दफ्तर मे जांच के लिये भेजना था इसलिये श्री. भामरे साहबने व्हाईस रेकॉर्डर मे नया मेमरीकार्ड डालकर व्हॉईस रेकॉर्डर चालु करके मेरे पास देकर मुझे और पंच नं. १ श्री. राजपुत इनको मेरी होंडा शाईन मोटर सायकलपर बिठाकर श्री. गायकवाड इनसे मुलाकात करने के लिये वहाँसे सुबह ११:५८ बजे भेज दिया।

उसके बाद मै और पंच नं. १ श्री. राजपुत मोटर सायकलपे उपकार थिएटर के पास गये, वहाँ पे मैने मेरी मोटर सायकल पार्क की और वहाँ से पैदल एमएसईबी के ऑफीस मे सरकारी अफसर श्री. गायकवाड इनसे मुलाकात करने के लिये पोहचे। वहाँ पर श्री. गायकवाड ऑफीस मे न होने की वजह मैने ऑफीस मे काम कर रहे एक कर्मचारी से श्री. गायकवाड साहब का नंबर लेकर मेरा मोबाईल नं. ८०८७१६८८७७ से श्री. गायकवाड साहब का मोबाईल नं. ७८७५१६०९५५१९ के उपर कॉल किया तब उन्होने मुझे फिरसे मट्टु को मिलने के लिये कहाँ, तब मैने उनसे मै मट्टु से मिल चुका ऐसा कहाँ, तब श्री. गायकवाड साहब ने मुझे ठिक है मै मट्टु से बात करता हुँ ऐसा कहकर फोन रख दिया। उसके बाद मै और पंच नं. १ श्री. राजपुत वापस महेश नगर के मुख्य अग्निशमन कार्यालय के पास पहुँचे। पुलीस अफसर श्री. भामरे साहब ने मुझे और पंच नं. १ श्री. राजपुत इनको घटी हुई घटना के बारे मे पुछा तब हम लोगो ने बताई हुई हकीगत और व्हॉईस रेकॉर्डर मे मेरे और श्री. गायकवाड के बिच हुई रेकॉर्ड हुई बातचीत दोनो पंच और स्टाफने सुनी। बाद मे मैने श्री. भामरे साहब को मेरे और श्री. गायकवाड इनके बीच हुई बातचीत मेरे मोबाईल मे रेकॉर्ड कर ली है ऐसे बताया। उसके बाद भामरे साहब, दोनो पंच और स्टाफ ने मेरे और श्री. गायकवाड इनके बिच मोबाईल पे हुई बात की रेकॉर्डीग सुनी। वह रेकॉर्डीग मेरे मोबाईल रेकॉर्ड हुई थी यह रेकॉर्डीग एक्सपर्ट के जरीये मोबाईलसे कॉपी कर अलगसे मेमरीकार्ड मे सेव्ह करने की अलगसे कारवाई करके उसका पंचनामा करने बात तय हुई। श्री. गायकवाड मुझे बार बार मट्टु से मिलने को कह रहे है यह बात भामरे साहब, दोनो पंच और स्टाफ के ध्यान मे आयी। एमएसईबी के ऑफीस मे जाने के बाद श्री. गायकवाड साहब दोपहर १५:०० बजे आने वाले है ऐसा वहाँ के कर्मचारी ने कहाँ था, इसी वजह मुझे श्री. गायकवाड इनको मिलने के लिये दोपहर १५:०० बजे के बाद फिरसे भेजना तय हुआ। कुछ समय बाद भामरे साहबने व्हाईस रेकॉर्डर मे नया मेमरीकार्ड डालकर व्हॉईस रेकॉर्डर चालु करके मेरे पास देकर मुझे और पंच नं. १ श्री. राजपुत इनको मेरी होंडा शाईन मोटर सायकलपर बिठकर श्री. गायकवाड इनसे मुलाकात करने के लिये वहाँसे सुबह १५:१० बजे भेज दिया।

उसके बाद मै और पंच नं. १ श्री. राजपुत मोटर सायकलपे उपकार थिएटर के पास गये, वहाँ पे मैने मेरी मोटर सायकल पार्क की और वहाँ से पैदल एमएसईबी के ऑफीस मे सरकारी अफसर श्री. गायकवाड इनसे मुलाकात करने के लिये पोहचे। लेकीन उस समय भी श्री. गायकवाड ऑफीस मे न होने की वजह मेरी और उनकी मुलाकात न हो सकी। लेकीन उस वक्त ऑफीस मे काम करनेवाले किरण नाम के एक कर्मचारी ने मुझसे मेरे काम के बारे मे पुछकर साहब छुट्टी पर है वो परसो आयेंगे ऐसा कहकर श्री. गायकवाड साहब को फोन लगाकर मेरी बात करवा दी, तब उस समय भी श्री. गाकयवाड साहब ने मुझे फिरसे मट्टु को मिलने को कहकर फोन रख दिया। उसके बाद मै और पंच नं. १ श्री. राजपुत वापस मुख्य अग्निशमन ऑफीस के पास पहुँचे। उसके बाद पुलीस अफसर श्री. भामरे साहब ने मुझे और पंच नं. १ श्री. राजपुत इनको घटी हुई घटना के बारे मे पुछा तब हम लोगो ने बताई हुई हकीकत और व्हॉईस रेकॉर्डर मे मेरे और श्री. गायकवाड और किरण नाम के कर्मचारीसे रेकॉर्ड हुई बातचीत दोनो पंच और स्टाफने सुनी के बाद मैने फिरसे श्री. गायकवाड साहब के मोबाईल नं. ७८७५१६०९५५१९ के उपर कॉल किया तब उन्होने मुझे गाडी चला रहा हुँ ऐसा कहकर फोन रख दिया। सरकारी अफसर श्री. गायकवाड छुट्टी पर होने की वजह से मुझे वापस २२/११/२०१९ को श्री. गायकवाड इनसे बातचीत करने के लिये एमएसईबी ऑफीस भेजना तय हुआ। उसके बाद पुलीस अफसर श्री. भामरे साहब ने मुझे मेरी मोटर सायकल लेकर २२/११/२०१९ तारीख को सुबह ११:०० बजे महेश नगर के मुख्य अग्निशमन ऑफीस के पास मिलने के लिये कहकर मुझे वहाँ से जाने की इजाजत दी। इस पुरी वारदात का पुलीस अफसर श्री. भामरे साहब ने जांच पंचनामा क. २ (पडताळणी पंचनामा क. २) किया है।

२२/११/२०१९ तारीख को सुबह ११:०० बजे पुलीस अफसर श्री. भामरे साहब ने बताई हुये महेश नगर के मुख्य अग्निशमन ऑफीस के पास अपनी मोटर सायकल लेकर हाजीर हुआ। उस समय श्री. भामरे साहब, दोनो पंच और उनका स्टाफ सरकारी गाडी के साथ वहा मौजुद थे।

मेरी दर्ज की गयी शिकायत के अनुसार सरकारी अफसर श्री. गायकवाड ये मुझसे सच मे रिश्वत मांग रहे क्या? इस बारे मे फिरसे जांच करने के लिये मुझे और पंच नं. १ श्री. राजपुत इनको मालेगांव मे उपकार थिएटर के पासवाले एमएसईबी के दफ्तर मे जांच के लिये भेजना था इसलिये श्री. भामरे साहबने मुझे श्री. गायकवाड साहब ऑफीस मे है क्या इस बारे पुछा तब मैने उन्हे मट्टु मजदुरो का पेमेंट करके ११:३० से १२:०० बजे तक पॉवर हाऊस पोहचनेवाला है ऐसा कहा। थोडे समय बाद मैने अपने मोबाईल से मट्टु के मोबाईल के उपर फोन किया तब उन्होने मै पॉवर हाऊस पहुँच रहा हुँ ऐसा कहा।

मेरी दर्ज की गयी शिकायत के अनुसार सरकारी अफसर श्री. गायकवाड ये मुझसे सच मे रिश्वत मांग रहे क्या? इस बारे मे फिरसे जांच करने के लिये मुझे और पंच नं. १ श्री. राजपुत इनको मालेगांव मे उपकार थिएटर के पासवाले एमएसईबी के दफ्तर मे जांच के लिये भेजना था इसलिये श्री. भामरे साहबने व्हाईस रेकॉर्डर मे नया मेमरीकार्ड डालकर व्हॉईस रेकॉर्डर चालु करके मेरे पास देकर मुझे और पंच नं. १ श्री. राजपुत इनको मेरी होंडा शाईन मोटर सायकलपर बिठकर श्री. गायकवाड इनसे मुलाकात करने के लिये वहाँसे दोपहर १२:२८ बजे भेज दिया।

उसके बाद मै और पंच नं. १ श्री. राजपुत मोटर सायकलपे उपकार थिएटर के पास गये, वहाँ पे मैने मेरी मोटर सायकल पार्क की और वहाँ से पैदल एमएसईबी के ऑफीस मे सरकारी अफसर श्री. गायकवाड इनसे मुलाकात करने के लिये पोहचे। उस समय मट्टु वहाँ पर मौजुद थे, उन्होने मुझे पैसे लाया क्या ऐसा पुछा तो मैने ना कहा, तब मट्टु ने मुझे जल्दीसे पैसे लेकर आने के लिये कहा। उसके बाद मै और पंच नं. १ श्री. राजपुत वापस मुख्य अग्निशमन ऑफीस के पास पहुँचे। उसके बाद पुलीस अफसर श्री. भामरे साहब ने मुझे और पंच नं. १ श्री. राजपुत इनको घटी हुई घटना के बारे मे पुछा तब हम लोगो ने बताई हुई हकीकत और व्हॉईस रेकॉर्डर मे मेरे और मट्टु की रेकॉर्ड हुई बातचीत भामरे साहब, दोनो पंच और स्टाफने ने सुनी।

मट्टुने जांच पंचनामे के बिच ४०,०००/- रूपये रिश्वत की मांग कर वह लाने के लिये कहने की वजह से भामरे साहब ने मुझे रिश्वत देने के लिये पैसे लाये हो क्या ऐसे पुछा तब मैने उनके सामने ४०,०००/- रू. पेश किये. उस समय एक पुलीस कर्मचारी ने उन नोटो को ॲन्थ्रासिन पावडर लगाई। उस वारदात का पुरा पंचनामा दोनो पंच और भामरे साहब ने किया।

उसके बाद श्री. भामरे साहबने व्हाईस रेकॉर्डर मे नया मेमरीकार्ड डालकर व्हॉईस रेकॉर्डर चालु करके मेरे पास देकर मुझे और पंच नं. १ श्री. राजपुत इनको मेरी होंडा शाईन मोटर सायकलपर बिठकर श्री. गायकवाड इनसे मुलाकात करने के लिये वहाँसे दोपहर १४:०२ बजे भेज दिया।

उसके बाद मै और पंच नं. १ श्री. राजपुत मोटर सायकलपे उपकार थिएटर के पास गये, वहाँ पे मैने मेरी मोटर सायकल पार्क की और वहाँ से पैदल एमएसईबी के ऑफीस मे सरकारी अफसर श्री. गायकवाड इनसे मुलाकात करने के लिये पोहचे। उस समय हम वहा मौजुद मट्टु के साथ गायकवाड साहब को मिलने गये। उसके बाद ऑफीस मे उनसे मिलकर हम बात करते हुये बाहर निकले उसमे मैने उनको चालीस हजार मे से कुछ रकम कम करने को बोला। फिर उन्होने मुझे बोलने से मना करते हुये मेरे पास मेरा मोबाईल मांगकर उसमे नंबर डालने को बोला। मैने उसपे मुहसे उनको चालीस हजार रूपये बोला, उस पर गायकवाड साहब ने इशारो मे मुझे मट्टु के पास पैसे देने के लिये बोला। उसने बाद मैने रिश्वत के ४००००/- रू. मट्टु के सामने करते हि मट्टु ने वह पैसे लेकर गिनकर उनके शर्ट के जेब मे रख दिये। तब आपने और स्टाफ ने उनको १४:१९ बजे प्रकाश फर्टीलायझर दुकान के पास खुली जगह पर रंगेहाथ उनका नाम पता पुछा तब उन्होने उनका नाम विकास सुभाष गायकवाड, वय - ३४ वर्षे, सहायक अभियंता, हौसिंग कॉलनी शाखा कार्यालय, म.रा.वि.वि.कं. मालेगांव, रा. प्रतिभा भावसार यांचे बंगल्यात, टि.व्ही. सेंटर, मालेगांव कॅम्प, मालेगांव और निजी आदमी मे उनका नाम असता त्यांनी त्यांचे नाव मोहंमद ईस्माइल मोहंमद युसुफ उर्फ मट्टु, वय - ६२ वर्षे, धंदा - मजुरी, रा. म्हाडा प्लॉट नं. ४२९, टिपु सुलतान चौक जवळ, मालेगांव ऐसा बताया।

मेरे और श्री. गाकयवाड साहब इनके बिच २०/११/२०१९ तारीख को दोपहर १२:०५ बजे किये गये कॉल के वक्त मेरे और गायकवाड इनके बिच जो बातचीत हुई वो मेरे मोबाईल मे रेकॉर्ड हुआ था। वह रेकॉर्ड हुई कॉल की मोबाईल एक्सपर्ट अत्ताकर रहेमान रा. मालेगांव इनसे वह कॉल रेकॉर्डीग एक मेमरीकार्ड मे कॉपी की गई उसका पंचनामा दोनो पंच और भामरे साहब ने किया है।

इस तरह से सफल सापला पंचनामा करके आरोपी सरकारी अफसर श्री. गायकवाड और निजी आदमी मट्टु को पकडकर उन्होने प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन ॲक्ट साल १९८८ (ॲमेंडमेंट २०१८) के मुताबिक कलम ७, ७ (अ) के तहत गुनाह करने के कारण मेरी उनकी खिलाफ कानुनी शिकायत है।

मेरी उपर कॉम्प्युटर के उपर टाईप की गयी शिकायत मैने पढकर देखी वो मेरे कहेनुसार सच है।

समक्ष

यह शिकायत दि
दि. २३/११/२०१९

Naveed Ah